न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 02/2018 **दायरा दिनांक : 02.01.2018**

उनवान

1— रामकल्याण पुत्र प्रभूलाल, जाति गूर्जर, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2— रामनारायण पुत्र प्रभूलाल, जाति गूर्जर, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3— दयाराम पुत्र प्रभूलाल, जाति गूर्जर, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — अभिभाषक श्री इन्द्रलाल गुप्ता अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट नम्बर 1 की ओर से

श्री विजय कुमार जैन रेस्पोडेंट नम्बर 2 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 02.05.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या — 793/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण ने रेस्पोडेंट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह कथन किया कि ग्राम लडानिया, तहसील खानपुर में खसरा नम्बर 56/356 रकबा 4 बीघा आराजी सिवाय चक सरकारी खाते में दर्ज है । इस पर वादीगण के पिता प्रभू लाल का 2016–17 साल से कब्जा चला आ रहा है । धारा 91 के तहत कार्यवाही वादीगण के पिता प्रभूलाल के खिलाफ चली थी जिसमें दिनांक 28.03.81 को यह आदेश दिया गया था कि धारा 91 की कार्यवाही निरस्त की जाती है, जुर्माना निरस्त किया जाता है और परगना अधिकारी को पत्रावली नियमन के लिए अग्रेषित की जाये । इस आदेश की आज तक अपील नहीं हुई है । वादग्रस्त आराजी पर वादीगण और प्रतिवादी रामनारायण का कब्जा चला आ रहा है । 54 वर्षों से लगातार कब्जा होने के कारण कब्जा मुखालफाने के आधार पर वादीगण खातेदार घोषित होने के अधिकारी है । अतः वादग्रस्त आराजी पर वादी और प्रतिवादीगण को खातेदार नियुक्त किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.05.2017 को दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि जवाबदावा पेश होने पर दिनांक 12.04.2017 को तनकीयात कायम की गई । पत्रावली बहस के लिए लम्बित थी परन्तु केम्प में बिना अपीलांट को सुने और बहस का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने दावा खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत की कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी गई थी । इस कारण अपीलांट केम्प में उपस्थित नहीं हो पाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.03.81 के आदेश पर ध्यान नहीं दिया है । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 31.10.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट और रेस्पोडेंट नम्बर 2 के पिता का सम्वत 2016–17 से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा चला आ रहा है । धारा 91 की कार्यवाही में दिनांक 28.03.81 को परगना अधिकारी को नियमन की सिफारिश की गई थी परन्तु नियमन नहीं किया गया है । लोक अदालत में बिना अपीलांट की सुनवायी किये, निर्णय पारित किया गया है । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि आराजी सरकारी सिवाय चक है, जिस पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । अपीलांट यदि स्वयं को नियमन का पात्र समझता है, तो उसे सक्षम अधिकारी के समक्ष नियमन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

वादी के द्वारा सरकारी सिवाय चक आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की सहायता चाही गयी है, जबकि सरकारी सिवाय चक आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । वादी यदि इस आराजी को अपने पक्ष में आवंटन/नियमन करना चाहता है तो वो सक्षम अधिकारी के समक्ष नियमों की अनुपालना में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए वह स्वतंत्र है, परन्तु सिवाय चक आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा